फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने–बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान–प्रदान के जरियों में एक जरिया

कई इराक हैं।
कई अमरीका हैं।
कई भारत हैं।
कई फरीदाबाद हैं।
आप–हम कहाँ हैं?

नई सीरीज नम्बर 178 अप्रैल 2003

....दरारें....दरारें....दरारें....

अफ्रीका महाद्वीप के धुर उत्तर में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्युनिशिया, लिबिया और मिश्र देश- राज- सरकार हैं। फ्रान्स सरकार के कब्जे को चुनौती देते और नई सरकार के गठन को प्रयासरत सशस्त्र संघर्ष ने 1960 में अल्जीरिया को गरम खबर बना रखा था। तुर्की और इन्डोनेशिया की तर्ज पर इस्लाम धर्म के क्षेत्र अल्जीरिया में 1964 में धर्मनिरपेक्ष- सेक्युलर सरकार की स्थापना हुई। शीघ्र ही जन- असन्तोष नई सरकार के भी नियन्त्रण से बाहर होने लगा। चुनावों में धर्मनिरपेक्ष दल धार्मिक दल से पराजित हो गया तो उसने चुनावों को रद्द कर दिया और सेना की आड़ में सत्ता पर काबिज रहा। धार्मिक दल ने सत्ता के लिये हथियारबन्द संघर्ष शुरू कर दिया। इन दस वर्षों में धर्मनिरपेक्ष- सेक्युलर गिरोह और धार्मिक गिरोह के बीच सत्ता के लिये मारामारी चल रही है और जब- जब कत्ल सैंकड़ों में होते हैं तब- तब खबर बनते हैं। धर्मनिरपेक्ष सरकार को बचाये रखने और इस्लामी सरकार स्थापित करने के लिये हो रहे खूनखराबे से परे बहुत कुछ हो रहा है परन्तु प्रचारतन्त्र इसकी चर्चा से परहेज करते हैं। एक छोटी- सी पत्रिका, " विलफुल डिसओबिडियन्स" में अल्जीरिया में दो वर्ष से जारी एक जन उभार का संक्षिप्त विवरण है। पुरानी- नई रुकावटों से जूझती- निपटती जन गतिविधियाँ वर्तमान समाज व्यवस्था में दरारें डालती लगती हैं। पिटी- पिटाई लकीरों को ठुकराती और नई राहें तलाशती जन गतिविधियाँ विकल्पों के लिये, नये समाज की सृष्टि के लिये रचना सामग्री उपलब्ध करवाती लगती हैं। "आप- हम क्या- क्या करते हैं" में एक सुखद ब्रेक, वर्तमान के सामान्य दैनिक जीवन के स्वाभाविक अगले चरण की रूपरेखा के लिये आइये अल्जीरिया में अपने बन्धुओं से संवाद स्थापित करें।

● राजधानी अल्जीयर्स से 70 किलोमीटर दूर अल्जीरिया के कबिलिया क्षेत्र के तिजि औजौ इलाके के बेनी- दौला में 18 अप्रैल 01 को पुलिस ने एक छात्र की हत्या कर दी। विरोध हुआ, फैला और आक्रोश के विस्फोट हुये। लोगों ने थानों और सैनिक दस्तों पर आक्रमण किये। पत्थर फेंकने और काँच की बोतलों को एक चौथाई पैट्रोल से भर कर उनके सिरे पर आग लगा कर फेंक मारने जैसे सरल शस्त्रों से जनता ने हमले किये और पुलिस की गाड़ियों, थानों, न्यायालयों में आग लगा दी। सामुहिक आक्रोश का विस्तार हुआ और हर प्रकार के सरकारी कार्यालय तथा राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर लपेट लिये गये।

जन विप्लव- विद्रोह- बगावत- जन उभार में दसियों लाख लोग शामिल हो गये, सम्पूर्ण कबिलिया क्षेत्र में फैल गया।

● मई 01 के आरम्भ में जन उभार ने स्वयं को संगठित करने के प्रयास आरम्भ किये। समितियाँ- सभायें- परिषदें- टोलियाँ और इन सब के बीच तालमेलों की समस्याओं से लोग रूबरू हुये। तालमेलों के लिये जरिये आवश्यक और जरिया बनते लोगों के प्रतिनिधि- नुमाइन्दे- नेता बनने- बनाने के लफड़ो से निपटने का सिलसिला चला।

● जन उभार को कुचलने में अल्जीरिया सरकार असफल रही। मध्य जून 01 तक कबिलिया क्षेत्र में सरकारी नियन्त्रण का लगभग पूरी तरह सफाया हो गया। जन उभार को थामने- समेटने- भुनाने के वास्ते समाजवादी शक्तियों के मोर्चे (एफ.एफ.एस.) ने सैनिक राष्ट्रपति को " जनतान्त्रिक परिवर्तन" लाने में सहायता की पेशकश की।

● जनता द्वारा पुलिस का बहिष्कार: लोगों ने पुलिस को भोजन व अन्य सामग्री देने- बेचने से इनकार कर दिया। मजबूर हो कर सरकार को हैलिकॉप्टरों और भारी भरकम हथियारबन्द दस्तों की देखरेख में ट्रकों के काफिलों से कबिलिया क्षेत्र में अपने दस्तों को सामान भेजना पड़ा।

यह जन उभार सब सत्ताधारियों, सत्ता के दावेदारों, सत्ता के लिये आतुर लोगों के खिलाफ है।

सरकार के हथियारबन्द दस्तों को घेरे, सामने डटे खड़े लोगों के हाथों में गत्तों पर लिखा था: "तुम हमारी हत्या नहीं कर सकते, हम तो पहले से ही लाशें हैं।"

● मौकापरस्तों ने जन उभार में घुसपैठ कर इसे अपने- अपने हितों में इस्तेमाल करने की कोशिशें की। जून 01 के अन्त में जन समूहों की तालमेल समिति ने सरकार के प्रतिनिधि से मिलने से इनकार कर दिया। जुलाई 01 के मध्य में तिजी औजौ के तालमेल- आर्च ने तालमेलों में जरिया बनते लोगों के लिये इज्जत- आबरू- प्रतिष्ठा - निष्ठा की एक प्रतिज्ञा तय की जिसके कुछ अंश यह हैं:

– किन्हीं भी ऐसी गतिविधियों अथवा कार्यों में लिप्त नहीं होना जिनका लक्ष्य सत्ता और उसके दलालों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जोड़ बनाना हो।

– जन उभार को गुटीय हित में इस्तेमाल नहीं करना। इसे चुनावी प्रतियोगिताओं अथवा सत्ता पर कब्जे की अन्य किसी प्रक्रिया के लिये इस्तेमाल नहीं करना।

– सत्ता की संस्थाओं में किसी राजनीतिक नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना।

● वामपंथियों और यूनियनवालों द्वारा जन उभार में घुसपैठ कर उसका अपहरण कर अपने हितों में इस्तेमाल करने के प्रयासों को लोगों ने विफल कर दिया। 26 जुलाई 01 को कबिलिया बन्द के दौरान " गद्दारों को भगाओ! यूनियनों को भगाओ!" व्यापक स्तर पर चर्चा में थे।

● सरकारी अधिकारियों ने तालमेलों के जरिये बने लोगों में से ऐसे लोगों से गुपचुप सम्पर्क करने आरम्भ कर दिये जो कि सरकार से समझौते के विचार का समर्थन करते थे। इस पर अगस्त 01 के मध्य में सौमामा घाटी से लोगों ने सब सरकारी अधिकारियों को निकाल दिया। फिर शीघ्र ही सम्पूर्ण कबिलिया क्षेत्र से समस्त सरकारी अधिकारियों को जनता ने निकाल बाहर किया। (बाकी पेज चार पर)

सरकार- सत्ता मध्यस्थ, बिचौलिये ढूँढती- रचती है।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून हैं– ●साप्ताहिक छुट्टी के बाद हरियाणा में हैल्पर को इस समय महीने की कम से कम तनखा 2140 रुपये 9 पैसे, अर्ध- कुशल को 2250 रुपये 9 पैसे, कुशल को 2400 रुपये 9 पैसे, उच्च कुशल मजदूर को 2700 रुपये 9 पैसे कम से कम; ●जहाँ एक हजार से कम मजदूर हैं वहाँ वेतन 7 तारीख से पहले और जिस कम्पनी में हजार से ज्यादा हैं वहाँ 10 तारीख से पहले, ●स्थाई काम के लिये स्थाई मजदूर, आठ महीने लगातार काम करने पर परमानेन्ट; ●ओवर टाइम समेत एक हफ्ते में 60 घण्टों से ज्यादा काम नहीं लेना, तीन महीनों में 75 घण्टों से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम के लिये पेमेन्ट डबल रेट से; ●फैक्ट्री शुरू होने के पहले दिन से प्रोविडेन्ट फण्ड, मजदूर के वेतन (बेसिक व डी.ए.) से 10 प्रतिशत काटना और 10 प्रतिशत कम्पनी ने देना, हर महीने 15 तारीख से पहले यह 20 प्रतिशत राशि मजदूर के भविष्य निधि खाते में जमा करना; ●फैक्ट्री में एक घण्टे की ड्युटी पर भी ई.एस.आई.; ●कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को भी 20 दिन पर एक दिन की अर्न्ड छुट्टी तथा त्यौहारी छुट्टियाँ, ● ..... **जनवरी 03 से देय डी.ए. का आँकड़ा 31 मार्च तक श्रम विभाग नहीं पहुँचा है।**

सुरभि इन्डस्ट्रीज मजदूरः "प्लॉट 318 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में जिन्हें ठेकेदार के वरकर कहते हैं उनकी भर्ती कम्पनी स्वयं करती है और उन्हें तनखा भी कम्पनी देती है। हैल्परों को 1400 और ऑपरेटरों को 1800 रुपये महीना तनखा देते हैं।"

एस.पी.एल. वरकरः "प्लॉट 21 सैक्टर- 6 में फैक्ट्री के अन्दर मैनेजमेन्ट ने नोटिस लगा रखे हैं कि ओवर टाइम आप अपनी मर्जी से ही करें परन्तु हमें जबरन ओवर टाइम के लिये रोका जाता है। ओवर टाइम काम की पेमेन्ट सिंगल रेट से देते हैं – सुपरवाइजर कहते हैं कि बाहर डबल रेट से बताया करो। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 12 घण्टे रोज और महीने के तीसों दिन ड्युटी के बदले में 2000 रुपये देते हैं – न ई.एस.आई. कार्ड और न पी.एफ.।"

आटोपिन मजदूरः "प्लॉट 16 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर 2002 की तनखायें नहीं दी और दिसम्बर की तनखा दे दी। जनवरी का वेतन भी दे दिया लेकिन फरवरी की तनखा आज 31 मार्च तक नहीं दी है। चार महीनों की हमारी तनखायें तो बकाया हैं ही, एक वर्ष के ओवर टाइम काम के पैसे भी नहीं दिये हैं। तनखायें नहीं दिये जाने के कारण जो कैजुअल वरकर नौकरी छोड़ कर चले गये वे फैक्ट्री गेट पर आते हैं और अपनी तनखायें माँगते हैं पर कम्पनी दे नहीं रही।"

नमो फोर्जिंग वरकरः "सोहना रोड़ पर संजय कालोनी स्थित फैक्ट्री में महीने की तनखा 1300 रुपये है और यह पैसे भी 20 तारीख को जा कर देते हैं।"

सुपर स्विच मजदूरः "फरवरी का वेतन आज 21 मार्च तक नहीं दिया है।"

अम्बिका फोर्जिंग वरकरः "प्लॉट 365 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1250 रुपये और ऑपरेटरों को 1500- 1800 रुपये महीना देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं। कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं।"

शिवालिक ग्लोबल मजदूरः "12/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1642 रुपये और ऑपरेटरों को 2100- 2200 रुपये महीना तनखा देते हैं परन्तु इन पैसों में से ही ई.एस.आई. और पी.एफ. के पैसे काटते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। बरसों से काम कर रहों को भी कैजुअल वरकर कहते हैं। छुट्टी मँजूर करवा कर घर जाओ तो भी लौटने पर नौकरी से निकाल देते हैं।"

ब्रॉन लैबोरेट्री वरकरः "प्लॉट 13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में फरवरी की तनखा आज 14 मार्च तक नहीं दी है – छह महीने हो गये तनखा में देरी करते। परमानेन्ट को 15- 16- 18 तारीख को तथा कैजुअल वरकरों को 28 तारीख को जा कर तनखा देते हैं।"

फास्ट पैक मजदूरः "प्लॉट 134 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में 125 वरकर काम करते हैं – सब की भर्ती त्रिशूल ठेकेदार के जरिये की गई है। हैल्परों को 1600 रुपये महीना तनखा देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं।"

आर.आर. आटोमोटिव वरकरः "प्लॉट 54 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते हैं। भर्ती करते समय 1800 रुपये तनखा बताते हैं परन्तु देते 1500 हैं। ओवर टाइम काम की पेमेन्ट डेढ़े रेट से बताते हैं लेकिन इसमें इतनी हेराफेरी करते हैं कि सिंगल की दर से भी कम पड़ता है। वेतन सब मजदूरों को एक समय नहीं देते – एक चौथाई लोगों को तो जनवरी की तनखा आज 15 मार्च तक नहीं दी गई है। कुछ वरकरों को तो दिवाली पर देना शुरू किया बोनस अभी तक नहीं दिया है। फरवरी की तनखा आज 15 मार्च तक देनी भी शुरू नहीं की है। तँग हो कर नौकरी छोड़ने वालों को हिसाब के लिये चक्कर पर चक्कर कटवाते हैं और जब देते हैं तब उसमें से भी 100- 200 खा जाते हैं।"

ब्राइट ब्रॉदर्स मजदूरः "प्लॉट 16- 17 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री पहले व्हर्लपूल कम्पनी की थी और अब भी व्हर्लपूल के लिये प्लास्टिक का काम यहीं होता है। यहाँ 50- 60 वरकर परमानेन्ट हैं और 300 को दो ठेकेदारों, बालाजी तथा गैलेक्सी के जरिये रखते हैं। रोज भर्ती होती है और महीना पूरा होने से पहले भी निकाल देते हैं। हाजरी में गड़बड़ करते हैं। तनखा में से प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे काटते हैं लेकिन निकाल देते हैं तब यह पैसे निकालने के लिये पी.एफ. का फार्म नहीं भरते। निकाल देने के बाद तनखा के पैसों के लिये चक्कर कटवाते हैं। लन्च में हमें फैक्ट्री से बाहर नहीं जाने देते और फैक्ट्री में खाना 15 रुपये में देते हैं। जबरन ओवर टाइम पर रोकते हैं और इसका भुगतान सिंगल रेट से करते हैं। कहते हैं कि उन्हें तो बस काम चाहिये।"

उत्तम एप्लायन्सेज वरकरः "इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री के ऊपर औम लिखा है और हैल्परों को 1500 रुपये महीना तनखा देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं। जनवरी और फरवरी की तनखायें आज 15 मार्च तक हमें नहीं दी हैं।"

रोलाटेनर्स मजदूरः "मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में वर्ष में आधा- आधा करके बोनस देते थे – दिवाली पर और मार्च में। इस बार दिवाली पर आधे का आधा दिया और कहा कि बाकी पैसे जनवरी में देंगे। लेकिन आज 21 मार्च तक बोनस के बकाया पैसे नहीं दिये हैं जबकि दूसरे आधे देने का समय भी आ गया है। कम्पनी वर्दी- जूते भी बकाया किये है। इधर कैजुअल वरकरों को फरवरी की तनखा 21 मार्च तक नहीं दी है। कम्पनी कहती है कि पैसे नहीं हैं।"■

कम्पनियों की लगाम

हर कार्यस्थल पर हजारों तार होते हैं; हजारों नट- बोल्ट होते हैं; नालियाँ- सीवर होते हैं; कई- कई ऑपरेशन होते हैं; रात- दिन को लपेटे शिफ्टें होती हैं। इसलिये मैनेजमेन्टों को रोकने- डाटने के लिये मजदूरों के हाथों में कारगर लगाम हैं: ✱ पाँच साल दौड़ने वाली मशीनें छह महीनों में टें बोल दें; ✱ कच्चा माल- तेल- बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक मात्रा से डेढ़ी- दुगनी इस्तेमाल हो; ✱ ऑपरेशन उल्टे- पल्टे हो कर क्वालिटी को गँगा नहा दें; ✱ बिजली कभी कड़के, कभी दमके, कभी आँख- मिचौनी करने मक्का- मदीना चली जाये; ✱ अरजेन्ट मचा रखी हो तब ऐसे ब्रेक डाउन हों कि साहबों को हृदय रोग हो जायें।

बिना किसी प्रकार की झिझक के, शान्त मन से, ठन्डे दिमाग से सोच- विचार कर कदम उठाने चाहियें।

अनुभव-चिन्तन

इन्डीकेशन इन्स्ट्रुमेन्ट्स मजदूरः "कम्पनी की मुख्य फैक्ट्री प्लॉट 3 सैक्टर-5 में है और दो प्लान्ट सैक्टर-6 में प्लॉट 19 तथा 85 में हैं। उत्पादन में लगातार वृद्धि की गई है और हम काम के भारी बोझ से परेशान हैं — दो पहिया और चार पहिया वाहनों के विभिन्न मीटर बनते हैं और देखने में वजन कुछ नहीं होता, सब हल्का होता है परन्तु काम का बोझ तो अलग ही किस्म का लफड़ा होता है। कम्पनी का मुनाफा हर साल बढता जा रहा है। इस वर्ष जनवरी में कम्पनी ने वी.आर.एस.लगाई पर एक भी मजदूर ने नौकरी नहीं छोड़ी है। इधर कम्पनी ने ट्रान्सफर तथा गेट रोक देने की धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं और छोटी-छोटी बातों पर आरोप पत्र-चेतावनी पत्र दे रही है। सैक्टर-5 फैक्ट्री में 180 परमानेन्ट वरकर हैं और कम्पनी की योजना 20-25 प्रतिशत को नौकरी से निकालने की है। जबकि अभी ही 350 कैजुअल वरकर हैं और कैजुअलों को निकाल दें तो काम रुक जाये। पिछले आठ-दस साल से कम्पनी ने किसी मजदूर को परमानेन्ट नहीं किया है। कैजुअलों को ब्रेक दे-दे कर फिर रखती रहती है— आधे कैजुअल प्रशिक्षित हो गये हैं, पुराने हो गये हैं। पुराने कैजुअलों को ही ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं और उनका प्रोविडेन्ट फण्ड है लेकिन नयों पर यह लागू नहीं हैं। नये कैजुअल वरकरों के वेतन में से ई.एस.आई. और प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे काटते हैं लेकिन लगता है कि गबन कर जाते हैं क्योंकि ब्रेक करने के बाद इन वरकरों के प्रोविडेन्ट फण्ड निकलवाने के फार्म नहीं भरते। कम्पनी में उत्पादन बढ रहा है, मुनाफा बढ रहा है, परमानेन्ट वरकरों से दुगने कैजुअल वरकर हैं और कम्पनी ने परमानेन्टों को नौकरी से निकालने के लिये वी.आर.एस. लगाई है।"

कास्टमास्टर वरकरः "प्लॉट 46 व 64 सैक्टर-6 स्थित कम्पनी में गालीगलौज, बरसों से कार्यरत लोगों को न ई.एस.आई. और न पी.एफ., फैक्ट्री में घायल हुये के ड्युटी पर नहीं आने पर गैरहाजरी लगाना, एक दिन छुट्टी करने पर एक दिन और जबरन बैठाना.... राहत के लिये हम एटक यूनियन से मिले और उन्हें 20 हजार रुपये चन्दा करके दिये। हमें कोई राहत नहीं मिली। फिर हम एल एम एस यूनियन से मिले और उन्हें 80 हजार रुपये चन्दा करके दिये। राहत की बजाय और नुकसान हुआ — दिहाड़ियाँ कटी, फैक्ट्री से बाहर हुये और हम में से 45 का हिसाब हुआ, नौकरी गई। इधर हम ने तीसरी यूनियन, एच.एम.एस. के फार्म भरे हैं। कम्पनी ने फिर फैक्ट्री गेटों पर पुलिस बुला ली है। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को फैक्ट्री में जाने से रोकने की कोशिश पर पुलिस हम में से 4 को पकड़ कर ले गई। चिन्ता बढने का एक कारण बगल में भी है — सैक्टर-6 में ही प्लॉट 74-75 में टालब्रोस फैक्ट्री से इसी एच एम एस यूनियन की अगुवाई में मजदूरों के नौकरी से निकाले जाने को साल भी पूरा नहीं हुआ है।"

हिन्दुस्तान वायर्स मजदूरः "प्लॉट 267-268 सैक्टर-24 में जहाँ 550 वरकर और 450 स्टाफ के लोग हुआ करते थे वहाँ अब 180 वरकर और 140 स्टाफ रह गये हैं। फैक्ट्री में 7 फरवरी से तालाबन्दी है। श्रम विभाग में तारीख पर कम्पनी नहीं जाती और कहती है कि नौकरी से निकालेंगे, जाओ केस कर लो। सब योजना बना कर हुआ है, मिलीभगत से हुआ है। हम चालें समझ रहे हैं और हमारे बीच चर्चायें होती रहती हैं। हम में से आधे यूनियन के पीछे ऐसी सोच ले कर हैं कि 'खाओ भी और दिलाओ भी'। जबकि खाओ वाली बात तो होती ही है लेकिन दिलाने की जगह डुबाना होता है, 'खाओ और डुबाओ' होता है।"■

-कम्पनियाँ-कम्पनियाँ-

कटलर हैमर मजदूरः "मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री से परमानेन्टों को निकालने के संग-संग कम्पनी ने ट्रेनी वरकर भर्ती किये। अब 350 परमानेन्ट बचे हैं और ट्रेनी 400 हो गये हैं। ट्रेनी वरकरों को भर्ती 4800 रुपये पर किया, फिर इसे घटा कर 4000 किया, फिर 3500 किया और अब 2800 रुपये महीना कर दिया है।"

ए बी बी वरकरः "इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में उत्पादन बढाने की कोई सीमा नहीं है। बीस हजार एच पी से 60 हजार किया, फिर 80 हजार कर अब सवा लाख एच पी के उत्पादन के लिये कम्पनी भारी दबाव डाल रही है। पहले वरकर एक मशीन चलाता था, अब एक साथ दो मशीन चलानी पड़ रही हैं। काम के लिये हर समय टोकते रहते हैं। बढाया उत्पादन नहीं देने पर वेतन काटने की धमकियाँ देते हैं। काम के बढते बोझ के संग-संग नौकरी की असुरक्षा बढती जा रही है।"

आटो इग्निशन मजदूरः "सैक्टर-24 प्लान्ट में वेतन 7 तारीख तक देते थे, अब 11-12 तारीख पर पहुँचा दिया है। नई एग्रीमेन्ट में 10 महीनों की देरी हो चुकी है और अब कम्पनी ने नोटिस लगाया है कि पुरानी एग्रीमेन्ट में निर्धारित उत्पादन दो अन्यथा वेतन में कटौती की जायेगी।"

ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स वरकरः "कम्पनी ने कैजुअल ही कैजुअल वरकर रखे हैं। टूल रूम का एक सुपरवाइजर बहुत दादागिरी करता है। थोड़े विरोध पर भी वरकर को नौकरी से निकलवा देता है — कम्पनी तुरन्त वरकर को गेट बाहर कर देती है।"

मेरठ से—

सेक्युरिटी गार्डः हम लोग सुरक्षा गार्ड हैं। कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई होमगार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त है, कोई एन.सी. सी. का कैडेट रहा है और कोई सिविलियन है। कई के पास अपनी बन्दूक भी है। नौकरी कहीं मिलती नहीं। कैसे जीयें? सेक्युरिटी कम्पनियों के पास जाना मजबूरी बनती है। इनके पास हर समय वैकेन्सी रहती है। रोज इनके विज्ञापन अखबारों में छपते हैं जिनमें भारी सँख्या में गार्डों की माँग होती है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि ऊँचे लोगों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों को गार्ड चाहियें। यह उनकी जरूरत भी है और फैशन भी। श्रम कानूनों एवं अन्य पचड़ों से बचने के लिये ये सेक्युरिटी कम्पनियों से अनुबंध करते हैं। दूसरा यह कि सेक्युरिटी कम्पनियाँ रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, वर्दी, नियुक्ति आदि के नाम पर अभ्यार्थियों से रकम ऐंठती हैं। एजेंसी वाले हमें 1500 से 2500 रुपये वेतन देते हैं जबकि प्रतिष्ठानों से इसके एवज में 3500 से 7500 रुपये लेते हैं। इसके अलावा हम से 8 घण्टे की बजाय 12 घण्टे की ड्युटी लेते हैं। वेतन भी दो-तीन माह तक विलंबित रहता है।

फर्क पड़ता हैः कई महीनों से बन्द पड़ी मोदी टायर फैक्ट्री की नीलामी की तीसरी कोशिश में 36 लाख रुपये की सम्पत्ति नीलाम हुई। इससे पहले दो बार नीलामी की प्रक्रिया महज नौटंकी साबित हुई थी। कम्पनी पर अपने 93 लाख रुपये बकाया के लिये मजदूरों के प्रयासों से यह नीलामी हुई है। प्रशासन, कम्पनी अधिकारियों और मजदूरों की उपस्थिति में 36 लाख रुपये में कुछ सम्पत्ति नीलाम हुई। शेष सम्पत्ति के लिये कोई बोलीदाता नहीं मिला — इसके लिये अब चौथी बार नीलामी की कार्रवाई होगी।

प्रेसः "केसर खुशबू टाइम्स" नामक दैनिक अखबार के सम्पादकीय विभाग में सर्विस करता हूँ। मालिक, मुद्रक, प्रकाशक यानि स्वत्वाधिकारी जी "विश्व मण्डल" नामक पत्रिका भी निकालते हैं। कई प्रेस यूनियनों के लीडर हैं, राजनैतिक पकड़ के स्वामी भी। तीन माह से मेरा वेतन रुका है। मुझे भय है कि नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और मिलेगी एक पाई नहीं। मैं कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता। नियुक्ति के दौरान मुझ से लिखवाया गया था: "मैं अखबार-पत्रिका में सेवा की अपेक्षा-क्षमता रखता हूँ। पत्रकारिता मेरा शौक है; लक्ष्य देश सेवा है; मैं अपने काम का शुल्क नहीं चाहूँगा।" मौखिक तौर पर वेतन तीन हजार रुपये मासिक तय था। वे कहते थे कि उनकी कुछ सैधान्तिक व वैधानिक विवशता है। विवशता मेरी भी थी। अब तक कोई दिक्कत नहीं आई; वेतन भी पूरा व समय से मिलता रहा। परन्तु अब क्या चक्कर है समझ नहीं पा रहा हूँ। पैसा माँगता हूँ तो कहते हैं कि कुछ अड़चनें हैं, साथ देते रहो, सब मिल जायेगा.... —नीलम

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद—121001

....दरारें....दरारें....दरारें....

(पेज एक का शेष)

मुजाहीदीन मन्त्री को तिजी औजौ का दौरा रद्द करना पड़ा और गृहमन्त्री जब नये राज्यपाल को स्थापित करने पहुँचा तो पत्थरों की बौछारों से उसका स्वागत हुआ।

● अक्टूबर 01 के आरम्भ में बन्दियों की रिहाई, मुकदमें खत्म करने और पूरे क्षेत्र से पुलिस हटाने की डिमाण्डें राष्ट्रपति को देने के लिये आयोजित प्रदर्शन पर सरकार ने पाबन्दी लगा दी। प्रदर्शनकारियो को तितर-बितर करने के लिये सरकार ने भारी सँख्या में बगावत-विरोधी सशस्त्र दस्तों का प्रयोग किया। 11 अक्टूबर 01 को तालमेल-आर्च और अन्य स्वयं-संगठित सभाओं तथा समितियों के अन्तर-क्षेत्रिय तालमेल ने निर्णय किया कि आगे से किसी भी सरकारी प्रतिनिधि को कोई भी डिमाण्ड-पत्र नहीं दिया जायेगा। यह भी फैसला हुआ कि मामला सौदेबाजी से पूर्णतः परे था तथा जो कोई भी सरकार से वार्ता करना स्वीकार करेंगे उनका बहिष्कार कर दिया जायेगा।

● जनता ने टैक्स देने और बिल भरने बन्द कर दिये। सेना में अनिवार्य भर्ती को लोगों ने अनदेखा कर दिया।

● 6 दिसम्बर 01 को कुछ तालमेलों के जरियों ने तालमेल-आर्च के प्रतिनिधि - नुमाइन्दे होने का दावा कर सरकार के मुखिया से मिलने की योजना बनाई। विरोध में सम्पूर्ण कबिलिया क्षेत्र बन्द। पुलिस बैरकों को घेर कर लोग बैठ गये और हिंसक भिड़न्तें हुई। अमिजौर में गैस कम्पनी, कर विभाग और मुजाहीदीन के राष्ट्रीय संगठन के कार्यालयों को जला दिया गया। एल कस्युर में न्यायालय और न्यायाधीशों के घरों पर हमले हुये।

● 'सड़क रोको' जारी। 7 फरवरी 02 को राजधानी में राष्ट्र संघ कार्यालय के बाहर तालमेल-आर्च के लोग गिरफ्तार। जनता ने पुलिस को बैरकों में सीमित कर रखा था। पुलिस फिर सड़कों पर निकलने लगी तो 12 फरवरी 02 को सम्पूर्ण कबिलिया क्षेत्र बन्द। लोग जगह-जगह पुलिस बैरकों के सामने जमा हुये और जगह-जगह पुलिस से झड़पें हुई।

समझौता मायने वर्तमान ही !

पर हमला बोला जिसे लोक तालमेल के कार्यालय के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। सरकार ने 400 "प्रतिनिधियों" के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट जारी किये।

● बढते दमन का बढता विरोध : 20 मई 02 को राष्ट्रपति अल्जीयर्स विश्वविद्यालय में गया तो छात्रों ने बन्दियों की रिहाई डिमाण्ड करते हुये पत्थरों की बौछारों से राष्ट्रपति का स्वागत किया। अगले दिन छात्रों ने विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया।

● 30 मई 02 के चुनाव में कबिलिया क्षेत्र में दो प्रतिशत से कम मतदान हुआ। लोगों ने गलियों में-सड़कों पर अवरोध लगाये, नगरपालिकाओं-शासकीय इमारतों-निर्वाचन कार्यालयों पर कब्जे किये और सड़कों पर जली हुई मतपेटियाँ बिखेर दी।

● जन उभार को पटरी से उतारने के लिये 19 जून 02 को दो "नुमाइन्दों" की मध्यस्थता से सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार कर बन्दियों को मिल कर उस पर चर्चा करने की अनुमति दी। जनता-जनार्दन ने उन "प्रतिनिधियों" को ठुकरा दिया। बन्दियों ने समझौते के लिये कैदियों की सशर्त रिहाई वाले उस प्रस्ताव पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

● जन उभार के जारी रहने पर अगस्त 02 में बन्दियों को रिहा कर अल्जीरिया सरकार ने अक्टूबर 02 में फिर चुनाव करवाने की घोषणा की। फिर जगह-जगह जनता के पुलिस से टकराव हुये। समाजवादी शक्तियों के मोर्चे (एफ.एफ.एस.) की चुनावों में शिरकत के बावजूद कबिलिया क्षेत्र में मात्र दस प्रतिशत मतदान हुआ।

● वर्ष में दूसरी बार चुनाव से भी सरकार की नैया पार नहीं हुई। अक्टूबर 02 के अन्तिम सप्ताह से सरकार ने फिर जनता पर भारी आक्रमण आरम्भ किया हुआ है। सरकार के सशस्त्र दस्ते उन जगहों पर छापे मार रहे हैं जहाँ जनता सभायें करती है और तालमेल समूह मिलते हैं। गिरफ्तारियों और यातनाओं का रथ घूम रहा है। बन्दियों ने भूख हड़तालें की हैं।

कोशिश-दर-कोशिश प्रतिनिधि - नुमाइन्दे-नेता पैदा करने की, बनने की

● फरवरी 02 के अन्त में राष्ट्रपति ने 30 मई को चुनावों की घोषणा की। जवाब में लोगों ने मतपेटियों और प्रशासनिक दस्तावेजों को कब्जे में ले कर जलाया। पुचकारने के लिये राष्ट्रपति ने क्षेत्र के दो प्रमुख शहरों से पुलिस हटा ली और समझौते की पेशकश की।

● जनता की "कोई समझौता नहीं" की बात पर सरकार द्वारा फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के लिये अभियान। 25 मार्च 02 को तिजी औजौ में सरकारी दस्तों ने उस थियेटर

जनता में से और सरकारी पक्ष में से सैंकड़ों मारे गये हैं और हजारों जख्मी हुये हैं। इसके बावजूद कबिलिया क्षेत्र में जन उभार थमा नहीं है। दो वर्ष से जारी जन उभार ने अपना अपहरण नहीं होने दिया है। इसलिये प्रचारतन्त्र इस पर चुप्पी साधे हैं। लेकिन इस जन उभार पर जन साधारण द्वारा चर्चायें करना बनता है। नई भाषा, नये शब्द, नये मुहावरे, नये अर्थ आवश्यक लगते हैं – जारी विश्वव्यापी मन्थन इन्हें अनिवार्य बना रहा है।

इस जन उभार में कोई नेता नहीं, कोई पार्टियाँ नहीं, कोई करिश्माई प्रवक्ता नहीं। इस जन उभार के पीछे कोई सीढीनुमा ऊँच-नीच वाला संगठन नहीं, कोई पिरामिडनुमा प्रतिनिधियों का संगठन नहीं। ऊपर से नियन्त्रित-निर्देशित किये जाने की बजाय इस जन उभार ने स्वयं को संगठित करने के प्रयास किये हैं। नीचे से ऊपर की ओर अथवा ऊपर से नीचे की ओर के उल्ट, यहाँ नीचे वालों द्वारा अपने जैसों को अपने जैसे ही बनाये रखते हुये तालमेलों की कोशिशें की गई हैं। तालमेलों के लिये आवश्यक जरियों के तौर पर लोग तय किये गये हैं परन्तु उन्हें नुमाइन्दगी - प्रतिनिधित्व - नेतृत्व के अधिकार नहीं दिये गये हैं। सब कोई एक जैसे, हर कोई बराबर वाली बात नहीं है बल्कि.. .... बल्कि "गैर-बराबरी नहीं" वाली बात रही है। इसलिये दो वर्ष से यह जन उभार जारी है और पार्टियाँ, यूनियनें, राजनीतिज्ञ अथवा अन्य अवसरवादी तत्व इसका अपहरण नहीं कर सके हैं, इसका दोहन नहीं कर सके हैं।■

और बातें यह भी

एलसन कॉटन मिल मजदूर: "कम्पनी की नीलामी के आदेश हो गये हैं लेकिन हमारे पास कोई दस्तावेज सबूत के तौर पर नहीं है। यूनियन नेताओं का कोई अता-पता नहीं है। मजदूर भी बिखर गये हैं। पता ही नहीं कि किस मजदूर की दावेदारी डली है और किसकी नहीं। नीलामी का शोर है – फैक्ट्री से मशीनें बाहर ले जाई जा रही हैं लेकिन हमें यह पता नहीं कि कौन उन्हें ले जा रहे हैं।"

झालानी टूल्स वरकर: "1987 में बीमार घोषित कम्पनी को जुलाई 2000 में बी आई एफ आर ने वाइन्ड अप करने को कहा। मैनेजमेन्ट ने इसके खिलाफ अपील की। मार्च 2001 में ए ए आई एफ आर ने मैनेजमेन्ट की अपील खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बी आई एफ आर के ओपिनियन पर मोहर लगा कर कम्पनी की नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ करने में फच्चर डालने के लिये मैनेजमेन्ट ने सीटू यूनियन नेता के जरिये बम्बई हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। मजदूरों ने स्टे को खारिज करवाया। आखिरकार 18 मार्च 2003 को दिल्ली हाई कोर्ट ने झालानी टूल्स की नीलामी के आदेश दे दिये हैं।"■

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।